न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभर लेक जिला जयपुर राज.
(न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट ग्रा. पं. बरडोती)

अपील सं. 20/14
पीठासीन अधिकारी : रामरतन शर्मा (आर.ए.एस.)

1. कैलाश पुत्र रामला उर्फ रामलाल जाति नायक उम्र 48 साल निवासी कोरसीना तहसील फुलेरा हाल निवासी सरवाड़ी गेट के बाहर, नायकों का मौहल्ला, किशनगढ़ जिला अजमेर राज. — अपीलार्थी

बनाम

1. गोपाल पुत्र सुल्तान जाति नायक निवासी कोरसीना तहसील फुलेरा मु. सांभरलेक — रेस्पोडेन्ट
2. ग्राम पंचायत कोरसीना जरिये सरपंच ग्राम पंचायत कोरसीना।

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा. लेण्ड रेवेन्यु एक्ट
विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत कोरसीना नामान्तकरण सं. 184 दिनांक 11.08.1987

दिनांक 05.07.2016

निर्णय

पत्रावली आज कैम्प कोर्ट ग्रा. पं. बरडोती में पेश हुई। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि नामान्तकरण सं. 184 जो आराजी ख. नं. 507 रकबा 35 बीघा 6 बिस्वा वाके ग्राम सरथला की आराजी में खातेदार श्री रामला पुत्र धन्ना की मृत्यु दिनांक 15.05.1986 को हो गई थी। जिसके वारीसों की कोई जांच किये बिना नामान्तकरण सं. 184 गोपाल नाम के व्यक्ति के पक्ष में तस्दीक कर दिया जबकि स्व. रामला पुत्र धन्ना के अपीलार्थी व अपील की चरण सं. 3 में वर्णित वारिसों के नाम का कोई इन्द्राज नामान्तकरण में अंकित नहीं किया है तथा न ही वंशावली नामान्तकरण पर अंकित की है। वंशावली के अनुसार रामला पुत्र धन्ना के ओर भी वारिस थे जिनकी कोई जांच नहीं की गई अतः उक्त नामान्तकरण बिना किसी जांच के कास्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत व सुनवाई का अवसर दिये बिना स्वीकार किया गया है जिसको निरस्त किया जाकर वास्तविक वारिसों के नाम नामान्तकरण स्वीकृत करवाया जावें। अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र पेश किया किया गया है। अपील में सिजरा वर्णित किया है तथा नामान्तकरण की प्रति प्रस्तुत की है। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को तलब किया। रेस्पोंडेन्ट सं. 2 की ओर से पेरोकर सरकार उपस्थित। रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से वकालत नामा पेश किया जिसका जवाब प्रस्तुत नहीं होने पर दिनांक 27.06.2016 को जवाब बन्द किया गया। दौनों पक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया। नामान्तकरण सं. 184 में ग्राम पंचायत द्वारा रामला पुत्र धन्ना नायक की विरासत प्रत्यार्थी सं. 1 गोपाल के नाम बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के वारीस के आधार पर स्वीकृत किया गया है जिसमें रामला पुत्र धन्ना के वास्तविक वारिसों को कोई सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। वैधानिक रूप से पीड़ित पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायोचित था जिसकी ग्राम पंचायत ने पालना नहीं की। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर नामान्तकरण सं. 184 निरस्त किया जाकर दौनों पक्षों की सुनवाई कर विधि अनुसार निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण तहसीलदार फुलेरा को रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित पाता हूँ।

क्रियात्मक आदेश

अपील अपीलार्थी स्वीकार कर नामान्तकरण सं. 184 निरस्त किया जाता है तथा पक्षकारान को विवादित आराजी ख. नं. 507 रकबा 35 बीघा 6 बिस्वा वाके ग्राम सरथला की आराजी में खातेदार रामला पुत्र धन्ना जाति नायक के वारिसों की जांच कर दौनों पक्षों को युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्रकरण का निस्तारण करने हेतु तहसीलदार फुलेरा को रिमाण्ड किया जाता है। तहसीलदार को तहरीर जारी हो।

आदेश दिनांक 05.07.2016 राजस्व लोक अदालत ... ग्राम पंचायत बरडोती मे खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajkumar Kaswa
Date: 2021.07.28 12:00:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक
(कैम्प कोर्ट ग्रा. पं. बरडोती)
रामरतन शर्मा
उपखण्ड अधिकारी
साँभर लेक

Scanned by CamScanner